उप-कानूनी सहायता

हमारे देश में जहां 90 फी सदी जनता कानून का दर्वाज़ा गरीबी के कारण नहीं खटखटा पाती, मुफ्त कानूनी सहायता की ज़रूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। जिला-स्तर पर कानूनी केंद्र बने हैं, जिन्हें "लीगल एड सेल" कहते हैं, जिनमें सरकार द्वारा मुफ्त सहायता, वकील की फीस और कागजी कार्यवाही के सब खर्च दिए जाते हैं।

पति व ससुराल वालों द्वारा मारपीट, लगातार 6 साल तक एक ही प्लाट पर खेती करने के बाद उसमें खेती करने का हक, 18 वर्ष से कम उम्र में माता-पिता द्वारा दूसरा ब्याह के लिए मजबूर किए जाने पर, कानूनी सहायता वहां मिल सकती है।

पति द्वारा छोड़े जाने पर मुकदमे के दौरान पत्नी और बच्चे गुज़ारा पाने के अधिकारी हैं।

यदि बच्चा पांच साल से कम का है तो मां उसे रख सकती है। उसके लिए मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानूनी सहायता केंद्र के वकील उसे कोर्ट आर्डर दिलवाने में मदद करेंगे।

कुछ मिसालें

दिल्ली के कीर्तिनगर में एक लड़की के पिता पूसा संस्थान में क्लर्क हैं। लड़की के पति और ससुर की कीर्तिनगर में ही फर्शी पत्थर और मोजेक आदि की दुकान है। लड़की को उसका पति और ससुरालवाले दहेज को लेकर बहुत तंग करते थे। उसे मारते-पीटते भी थे। उसकी गोद में एक साल का लड़का था। जब उन्हें लगा कि वे लड़की के बाप से और कुछ वसूल नहीं कर सकते तो उन्होंने लड़की को थाने ले जाकर उससे एक कागज पर दस्तखत करा लिए। उसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर जा रही हूं और मैं बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहती। उसके बाद उन्होंने लड़की के पिता को तार दिया कि अपनी लड़की को ले जाओ। तार के जवाब का ज्यादा इंतज़ार किए बिना अगले दिन उन्होंने लड़की को स्कूटर पर बिठाकर उसके मायके पूसा संस्थान भेज दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया।

लड़की का पिता तार लेकर कानूनी सहायता केंद्र गया और लड़की के साथ हुए बुरे व्यवहार का ब्यौरा दिया। वकील ने उसी तार के आधार पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। उसके आधार पर बच्चे को कोर्ट में लाया गया और मां को दिला दिया गया।

मध्य प्रदेश में कुछ लोग आदिवासी कबीले की जमीन हड़पना चाहते थे। उसी की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया। कबीले ने "लीगल एड केंद्र" से कानूनी सहायता ली। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 50,000 रु० हर्जाना दिलवाया। 5,000 लड़की के अभिभावकों को तुरंत दे दिए गए, बाकी लड़की के नाम बैंक में जमा करा दिए गए।

दिल्ली की एक महिला आनन्द पर्वत के एक मकान में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। पति की अचानक मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ी होती मकान मालिक ने पुलिस की सहायता से उसका सामान बाहर निकाल कर उसे सड़क पर खड़ा कर दिया। उसके नौ वर्ष के लड़के को पकड़ कर पुलिस थाने ले गई जहां मारने-पीटने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मां ने कानूनी सहायता केंद्र की मदद ली। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। जज ने आदेश दिया कि मकान मालिक 75,000 रु० मुआवजा दे जो उसे देना पड़ा।

इस तरह की कानूनी सहायता को उप-कानूनी सहायता या "पैरा-लीगल एड" भी कहते हैं जिसमें फैसला भी जल्दी होता है और कानूनी दांव-पेंच के चक्करों से बचा जा सकता है। लोक अदालत और पारिवारिक अदालत में फैसले पार्टियों में समझौते

से कराने की कोशिश की जाती है। कानूनी बंधन कम होने के कारण फैसला जल्दी हो जाता है।

पारिवारिक कोर्ट

पारिवारिक कोर्ट (फेमिली कोर्ट्स) अधिनियम 1984 में पास हुआ था, पर महाराष्ट्र के अलावा अभी यह अन्य कहीं कारगर नहीं हुआ है। पति-पत्नी के आपसी झगड़े, तलाक, गुजारा-भत्ता, बच्चा रखने का हक आदि मामलों की सुनवाई अलग अदालत में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में हो सके तो अच्छा होगा। असली उद्देश्य समाज की व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्तियों को कष्ट से बचाया जाना है। पारिवारिक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य परिवार को बचाना है। यदि संबंध इस हद तक खराब हो गए हैं कि समझौते की गुंजाइश नहीं बची तो तलाक की स्थिति का भी रास्ता निकालना है।

पारिवारिक कोर्ट के तहत ये मामले आते हैं:—
1. विवाह संबंधी 2. शादी कानूनी है या नहीं, 3. पति-पत्नी की संपत्ति का बंटवारा 4. किसी एक का दूसरा ब्याह कर लेना या बिना पूछे संयुक्त या दूसरे की संपत्ति बेचना 5. गुजारा-भत्ता संबंधी 6. नाबालिग बच्चों को संरक्षण 7. पत्नी, बच्चों और माता-पिता को गुजारा भत्ता न देना।

यदि पति-पत्नी में इस संबंध में समझौता हो जाए तो जज औपचारिक मुकदमे बिना फैसला दे सकता है। कोई भी पारिवारिक अदालत तब तक कारगर ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक कि उसकी सहायता के लिए सहायक सेवा नहीं होगी। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और महिला समितियां बहुत उत्तम हैं।

इन अदालतों को उन भागों में भी काम करना होगा जहां इनकी सख्त जरूरत है। वे हैं हमारे गांव। यदि वे महाराष्ट्र में काम कर सकती हैं तो देश के अन्य भागों में क्यों नहीं?

कानूनी जानकारी

देश में कानून की असफलता का मुख्य कारण कानूनी जानकारी की कमी है। गांवों में स्त्रियों को जानकारी देने की बहुत जरूरत है। इसके लिए कभी-कभार गांवों में कैंप लगाना काफी नहीं है। उनमें कई बार स्त्रियों को उनके घरवालों द्वारा जाने की इजाजत ही नहीं मिलती है। औरतों को पारिवारिक सलाह-मशविरे के लिए उत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपनी बात खुल कर कह सकें। उनमें इस जानकारी से हिम्मत आएगी कि कानूनन वे सही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने पर कानून उनकी मदद करेगा। जब तक कानूनी मशीनरी या नियम का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक उनकी उपयोगिता और कमियों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तब तक उन्हें सुधारा भी नहीं जा सकेगा।

औरतों पर शारीरिक और मानसिक यातनाओं के अनेक केस महिला समितियों के पास आते हैं। श्री फकीर चंद और श्रीमती निर्मला ने 25 वर्ष तक वैवाहिक जीवन बिताया। पति की ज्यादतियों से तंग आकर निर्मला ने संबंध तोड़ना चाहा। जब समिति ने देखा कि समझौता संभव नहीं है तब उसने पति से 65,000 रु. निर्मला को मुआवजे का आदेश कोर्ट से दिलवाया और मायके से लाई दहेज की सब चीजें भी दिलवा दीं।

सुधा गोयल नाम की बहू की हत्या पति और सास ने मिलकर कर दी। नीचे की अदालत में फैसला पति और सास के खिलाफ हुआ पर हाईकोर्ट में वे अपील जीत गए। महिला संस्थाओं ने विरोध किया। महिला दक्षता समिति ने कुछ महिला संगठनों की मदद से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां से पति व सास को आजीवन कैद की सजा मिली।

यह सच है कि बहुत कम मामलों में सफलता मिल पाती है, पर यह भी सच है कि बहुत कम मामलों में कानूनी सहायता ली जाती है। जितनी जरूरी शिक्षा है उतनी ही जरूरी कानून-संबंधी जानकारी है। तभी औरतों को उनके अधिकार मिल सकेंगे।

ऊपर दिए केसों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट वकील सुश्री उमिला कपूर व महिला दक्षता समिति की रपटों से साभार।